

25.10.18

~~पतावली पेशा हुये। आभिभाषक अपीलान्त
व अपीलान्त उपाधान नही। आभिभाषक
रेफ्यो. व उपाधान। आभिभाषक अपीलान्त
व अपीलान्त मे करे वार रुक-रुक कर
आवाजे दिलाये गये, किन्तु कोई भी
उपाधान नही हुआ।~~

~~अतः मजली अपीलान्त मजली
राजरी एवं आदम पेशी में खारिज की
जाती है। पतावली फैसला शुभारंभ के
नम्बर ले सम हों।~~

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर कैम्प दूद